



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-32/2019- 508

दिनांक : 28.08.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला/ मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/वन संरक्षक एवं राज्य वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत रंगीनी एवं कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) हेतु का द्वितीय वर्ष तथा सीसल वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) कुल **रु0 210.415 लाख (दो करोड़ दस लाख एकतालीस हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 4/यो0ब0-46/2019-42/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-46/2019-15/आ0 व0प0 दिनांक 10.08.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 210.415 लाख (दो करोड़ दस लाख एकतालीस हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102090103	105.367
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102090323	105.048
कुल :-		210.415

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1(क) से 1(ग) पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2(क) से 2(ग) एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन समितियों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उस समिति से संबंधित सभी अभिलेख एवं उत्पादित लाह से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
4. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601102090103, 19S240601102090323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाता के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प

संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी, या GeM से किया जाएगा।

14(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

15. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।



16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-32/2019- 508

दिनांक- 28.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक -सह- मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ मेदिनीनगर/ हजारीबाग/ बोकारो / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ मेदिनीनगर/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-32/2019- 508

दिनांक- 28.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ पलामू/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो/ डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का द्वितीय वर्ष का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 257.29 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2020-21 द्वितीय वर्ष		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				8.498	5.010	13.508
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	125	12500	8.498	5.010	13.508
योग :-		125	12500	8.498	5.010	13.508


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का द्वितीय वर्ष का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 257.29 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2020-21 द्वितीय वर्ष		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				8.143	24.260	32.403
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	125	12500	8.143	24.260	32.403
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	125	12500	8.143	24.260	32.403
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	125	12500	8.143	24.260	32.403
4	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	125	12500	8.143	24.260	32.403
योग :-		500	50000	32.572	97.040	129.612

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सीसल वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 257. 29)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 द्वितीय वर्ष		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				91852.53	4283.00	96135.53
i	ii		iv	v	vi	viii
1	वन संरक्षक एवं राज्य वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची	उदयपुरा	20	18.371	0.857	19.228
		सबानो	50	45.926	2.141	48.067
योग :-			70	64.297	2.998	67.295

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कार्य दर तालिका

कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना (तीन वर्षीय) की कार्य लाह-पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	द्वितीय वर्ष 2020-21 मजदूरी प्रति मानव दिवस 257.29			
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
1	वृक्षों का चिह्नांकन	रु० 2.98 प्रति वृक्ष		0.000	0.000	0.000
1	प्रशिक्षण					
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	1.000
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य /प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.000
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट				0.000
4	वृक्षों की कटाई-छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	3750 वृक्ष	1.930		1.930
5	बीहन लाह का क्रय	4-6 कि० ग्राम प्रति वृक्ष; रु० 200.00 प्रति कि०ग्राम	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 5000 वृक्ष			0.000
6	संचारण व्यय	1 मा० दि० प्रति 5 वृक्ष	5000 वृक्ष	2.573		2.573
7	फसल संरक्षण पर व्यय	60 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	5000 वृक्ष		3.000	3.000
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रु०				0.000
9	फुन्की का स्कैपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	5000 वृक्ष	0.515		0.515

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	द्वितीय वर्ष 2020-21 मजदूरी प्रति मानव दिवस 257.29			
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250	0.250
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक / माह	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.600
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रु० प्रति माह	12 CRP (12 माह)	2.880		2.880
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.500	0.500
	कुल योग-			8.498	4.750	12.998
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)				0.260	0.260
	सकल योग-			8.498	5.010	13.258

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह
ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर
लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार,
कुल 1250 लाभुक परिवार)

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	द्वितीय वर्ष 2020-21 मजदूरी प्रति मानव दिवस 257.29			
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
1	वृक्षों का चिह्नांकन	रु० 2.98 प्रति वृक्ष		0.000	0.000	0.000
2	प्रशिक्षण					
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	1.000
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट				0.000
4	वृक्षों की कटाई-छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	3.216		3.216
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1. 00 कि०ग्रा० प्रति वृक्ष; रु० 200.00 प्रति कि०ग्रा०	6250 वृक्ष		12.500	12.500
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष	6250 वृक्ष	0.804		0.804
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	6250 वृक्ष		1.875	1.875
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रु०			7.500	7.500
9	फुन्की का स्कैपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	6250 वृक्ष	0.643		0.643
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250	0.250

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	द्वितीय वर्ष 2020-21 मजदूरी प्रति मानव दिवस 257.29			
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.600
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रु० प्रति माह	12 CRP (12 माह)	2.880		2.880
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड /प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.500	0.500
	कुल योग-			8.143	23.625	31.768
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2 % of Project cost			0.635	0.635
	सकल योग-			8.143	24.260	32.403

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- सीसल वृक्षारोपण हेतु कार्य दर प्रति हे०

पौधों की संख्या प्रति हे०:- 6150

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस प्रति हे०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	अभ्युक्ति
1.	पौधशाला कार्य (आंशिक) रात्रि प्रहरी सहित	हे०	57	14665.53	0.00	14665.53	
2.	वृक्षारोपण	हे०	145	37307.05	0.00	37307.05	
3.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	145	37307.05	0.00	37307.05	
4	सुरक्षा कार्य	हे०	8	2058.32	0.00	2058.32	
5	सामग्री (बीज, उर्वरक खाद, रसायन आदि)	हे०	0	0.00	4133.00	4133.00	
6	ट्रेंच के बर्न पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2	514.58	0.00	514.58	
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	हे०	0	0.00	150.00	150.00	
योग :-			357	91852.53	4283.00	96135.53	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-32/2019/508

दिनांक - 28-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102090103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 102 - समाज तथा फार्म बानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	40570	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	849,800.00 रुपये आठ लाख उनचास हजार आठ सौ
2	S 19 240601102090103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 102 - समाज तथा फार्म बानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	40571	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. ORÉST.DIV.	814,300.00 रुपये आठ लाख चौदह हजार तीन सौ

1,664,100.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये सोलह लाख चौसठ हजार एक सौ

(NAME KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	40572	CTRFOR002 VIKAS MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	814,300.00 रुपये आठ लाख चौदह हजार तीन सौ
4	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	40573	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	814,300.00 रुपये आठ लाख चौदह हजार तीन सौ
5	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	40574	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	814,300.00 रुपये आठ लाख चौदह हजार तीन सौ

योग:

2,442,900.00

क्रमिक योग:

रुपये इकतालीस लाख सात हजार

4,107,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	40576	DRNFWL032 RAJIV RANJAN CCF & STATE SILVICULTURIST JH	6,429,700.00 रुपये चौसठ लाख उन्तीस हजार सात सौ
7	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	40578	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	501,000.00 रुपये पाँच लाख एक हजार
8	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	40579	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	2,426,000.00 रुपये चौदस लाख छब्बीस हजार

योग:

9,356,700.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड चौतीस लाख तीरसठ हजार सात सौ

13,463,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	40580	CTRFOR002 VIKAS MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	2,426,000.00 रुपये चौइस लाख छब्बीस हजार
10	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	40581	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	2,426,000.00 रुपये चौइस लाख छब्बीस हजार
11	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	40583	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	2,426,000.00 रुपये चौइस लाख छब्बीस हजार

7,278,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड सात लाख इकतालीस हजार सात सौ

20,741,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	19 240601102090323	40584	DRNFWL032	299,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAJIV RANJAN	रुपये दो लाख निम्नानवे हजार आठ सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		CCF & STATE	
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन		SILVICULTURIST JH	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)		
	Central Scheme :	NA		



योग:

299,800.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड दस लाख इकतालीस हजार पाँच सौ

21,041,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND